

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—43/2022 (2022/99) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. उदयलाल पिता दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गणपत पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसमल पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मधु पुत्री सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अशरफ पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गुलशन पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मुंशी पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लियाकत पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. खुशानुर पुत्री आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जमीला पुत्री आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राबिया पुत्री आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजु पिता आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सोहिल पिता आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बालु पिता डालु कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मांगु पिता छोगा कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शिवलाल पिता डालु कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. हेमा पुत्री डालु निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. लादुलाल पिता दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. जाफर श्याह पिता कादर श्याह निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर –

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आराजी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 818 रकबा 0.37 है, आराजी संख्या 824 रकबा 0.33 है, आराजी संख्या 2197/817 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 2198/817 रकबा 0.22 है कुल किता 4 कुल रकबा 0.94 है भूमि खाता संख्या 32 पर



दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 07.03.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 818 रकबा 0.37 है0 आराजी संख्या 824 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2197/817 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2198/817 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.94 है0 भूमि खाता संख्या 32 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—43/2022 (2022/99) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. उदयलाल पिता दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. कैलाश पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गणपत पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसमल पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मधु पुत्री सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अशरफ पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गुलशन पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मुंशी पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लियाकत पिता अकबर शाह फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. खुशनुर पुत्री आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जमीला पुत्री आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राबिया पुत्री आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजु पिता आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सोहिल पिता आजाद फकीर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बालु पिता डालु कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मांगु पिता छोगा कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शिवलाल पिता डालु कलाल निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. हेमा पुत्री डालु निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. लादुलाल पिता दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. जाफर श्याह पिता कादर श्याह निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 31.03.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 818 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 824 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2197/817 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2198/817 रकबा 0.22 है0 कुल कित 4 कुल रकबा 0.94 है0 भूमि खाता संख्या 32 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
31.3.2022

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर जिला भीलवाड़ा